बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिलान्तर्गत दुल्हिन बाजार से पाठक मिल्की महुवाबाग, सोरमपुर,नरही,शेरपुरा होते हुए ग्राम दिहुली तक REO की पतली सड़क है जो ग्राम आलमपुर होते हुए सबजपुर के टोला तक गई है। सबजपुरा से पितमास तक कच्ची सड़क है। पितमास में स्टेट- हाइवे सड़क मिलती है जो मसौढ़ी तक जाती है एवं दूसरे तरफ नौबतपुर तक जाती है।

दुल्हिन बाजार से दिहुली तक REO की सड़क बहुत पतली है एवं यह गॉव की गलियों से गुजरती है जिस पर बड़ी गाड़ी नहीं चल सकती है । दुल्हिन बाजार से पितमास भाया दिहुली होते हुए सभी गांव के बाहर बाहर सड़क का निर्माण कर सभी गांव को संपर्क पथ से जोड़ दिया जाए तो लाखों को लाभ होगा। और मसौढ़ी,नौबतपुर,तथा पालीगंज से जुड़ जाएगा ।

अत: उक्त जिला के उक्त पथों का निर्माण कराने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सी0पी0 सिन्हा
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-76/2018 - 491 (1) वि.प. दिनांक- 01.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग,बिहार/ पथ निर्माण विभाग ,बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 12/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह

(नवल किशोर सिंह) 01.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पूरे प्रदेश के प्रखंड कार्यालयों में पंचायत सचिवों की संख्या बहुत कम होने के कारण पंचायतों का कार्य बाधित होता है। एक पंचायत सचिव कई-कई पंचायतों के प्रभार में रहते हैं। जिसके कारण आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत सरकार एक महत्वपूर्ण अवयव है और जनता का सीधा सरोकार इन कर्मचारियों से होता है। पंचायत सचिव की जब तक नई नियुक्ति नहीं होती है तब तक पंचायत सचिव के दायित्वों का प्रभार ग्राम कचहरी सचिव को देकर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।

अत: राज्य के सभी पंचायत में पंचायत सचिवों की नई नियुक्ति कर पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से संपादन करने तथा पंचायत सचिवों की नई नियुक्ति होने तक ग्राम कचहरी सचिव को पंचायत सचिव के कार्यों का दायित्व देने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राजकिशोर सिंह कुशवाहा
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-75/2018 - 490 (1) वि.प. दिनांक-01.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पंचायती राज विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 12/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 01.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पंचायती राज विभाग के आवंटनादेश संख्या-30/आ0दिनांक-23/12/2016 एवं 51/आ0 दिनांक- 29/3/2017 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सभी जिला परिषदों को परिसंपत्तियों के निर्माण मद में राशि का आवंटन उपलब्ध कराते हुए जिला परिषद् मुजफ्फरपुर को वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राशि 4,10,31,574.00 एवं वित्तीय वर्ष 2017 -18 में आवंटनादेश संख्या-57/आ0 दिनांक-10/1/2018 द्वारा राशि 4,15,87,365.00 यानि कुल राशि 8,26,18,939/- रूपये मात्र परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपलब्ध कराया गया है। जिसका व्यय ई- गवर्नेंस प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन तथा क्षमतावर्द्धन यथा मैनपावर, प्रशिक्षण,कार्यालय की जगह के संदर्भ में करने का निदेश दिया गया है । जिला परिषदों की बैठक में पंचायती राज विभाग के निदेश के आलोक में राशि व्यय करने से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया है। परंतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस राशि को व्यय नहीं कर लंबित रखा जाता है। जिससे कल्याणकारी कार्य बाधित है । विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में जिला परिषद् द्वारा व्यय करने का निर्णय लिया जाता है और हर बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा विभाग से स्पष्ट निर्देश की मांग की जाती रही है। बिहार के सभी जिलों में राशि पड़ी हुई है, खर्च नहीं हो रहा है।

अत: मैं सरकार से सदन में इस संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं कि क्या सरकार स्पष्ट मार्ग दर्शन देकर उक्त राशि को व्यय कराना चाहती है।

ह0/- दिनेश प्रसाद सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-74/2018 - 489 (1) दिनांक- 01.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पंचायती राज विभाग,बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 12/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 01.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य की एक बड़ी आबादी मत्स्य पालन कर अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। यही उनकी जीविकोपार्जन का मुख्य आधार है। परंतु प्रत्येक वर्ष उत्तर बिहार में आने वाली बाढ़ एवं अतिवृष्टि के चलते इन मत्स्यपालकों को भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। बाढ़ आने पर लंबे समय तक इन मत्स्य पालकों को भुखमरी से जूझना पड़ता है।

अत: मैं राज्य के मत्स्यपालकों को बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- अर्जुन सहनी
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-73/2018 - 488 (1) बि.प. दिनांक- 01.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ मत्स्य एवं पशुपालन विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 12/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 01.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के अंदर संविदा पर कृषि समन्वयकों की नियुक्ति 01/08/2013 को किया गया था। सरकार ने कृषि समन्वयकों की स्थायी नियुक्ति के लिए बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन 05/05/2015 को प्रकाशित किया । परीक्षा के उपरांत 24/11/2017 को 3600 सफल अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गयी । इनमें से 3507 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करते हुए योगदान देने के लिए निर्देशित किया गया । परंतु 3507 में से लगभग 400 अभ्यर्थी ने कतिपय कारणों से योगदान नहीं दिया । इस वजह से ये पद अभी रिक्त हैं। दूसरी तरफ 01/08/2013 से संविदा पर कार्य कर रहे कृषि समन्वयकों में से 370 की स्थायी नियुक्ति नहीं की जा सकी है। इन कृषि समन्वयकों को 4 साल का अनुभव भी प्राप्त है।कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया से वंचित रह गये इन कृषि समन्वयकों की संविदा भी समाप्त की जा रही है।

अत: चयन प्रक्रिया से वंचित रह गये 370 अभ्यर्थियों को खाली रह गये कृषि समन्वयक के पद पर स्थायी नियुक्ति करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- रजनीश कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-72/2018 - 487 (1) वि.प. दिनांक- 01.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ कृषि विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 12/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

01.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।